Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380,
https://www.srjis.com/issues_data/224
Peer Reviewed, Refereed & Indexed Journal, Nov-Dec, 2023, Vol- 12/80

भ्रष्टाचार भारतीय शासन-प्रशासन की ज्वलंत समस्या: एक अध्ययन

मोहनी[1] और जनक सिंह मीना[2]

1 **शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर**

2 **प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, गांधीवादी विचार एवं शांति अध्ययन केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर**

सारांश

शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार आज भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार का घुन ना सिर्फ शासन-प्रशासन को अंदर से खोखला कर रहा है बल्कि यह लोगों के जीवन के सभी पक्षों को भी प्रभावित कर रहा है। राजनैतिक दलों से लेकर न्यायपालिका तक, कारोबार से लेकर खेलों तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रह गया है जिसे भ्रष्टाचार ने प्रभावित नहीं किया है। भ्रष्टाचार के इस संक्रामक रोग के मारक विस्तार और लोग जीवन के रंग-रंग में प्रवेश करते जाने के कारण शासन की जड़े कमजोर हुई है आम लोगों में उसके प्रति अविश्वास बढ़ा है। भ्रष्टाचार के कारणों में अत्यधिक नियम, जटिल कर और लाइसेंस प्रणाली, अपारदर्शी नौकरशाही और विवेकाधीन शक्तियों वाले कई सरकारी विभाग, कुछ वस्तुओं और सेवाओं के वितरण पर सरकार द्वारा नियंत्रित, संस्थानों का एकाधिकार, पारदर्शी कानूनों और प्रक्रियाओं की कमी इत्यादि शामिल हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भ्रष्टाचार भारतीय शासन-प्रशासन की ज्वलंत समस्या के विशेष सन्दर्भ में एक अध्ययन किया गया है। भारतीय शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के साथ ही इस समस्या से निपटने के कुछ प्रभावी सुझाव भी दिये किये गए हैं।

संकेताक्षर *:* भ्रष्टाचार, लोकसेवक नौकरशाही, लोकपाल, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक।

परिचय

भ्रष्टाचार अर्थात भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट यानी बुरा या बिगड़ा हुआ तथा आचार का मतलब है आचरण। अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक या अनुचित है। डेविड एच. बेली कहते हैं कि “भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्दावली है जिसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के विचार के परिणामस्वरुप सत्ता का दुरुपयोग भी आता है, जो जरूरी नहीं धन-सम्बन्धी हो।”[1] किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार से मुक्त होना आवश्यक है। भ्रष्टाचार सत्ता में बैठे लोगों द्वारा किया गया बेईमान व्यवहार है जो लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं वे व्यवसायी या सरकारी

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संगठनों से संबंधित हो सकते हैं। भ्रष्टाचार किसी भी राज्य के लिए अभिशाप है जैसा कि सिसरों ने कहा है, "एक शासक पथभ्रष्ट हो जाये, यह कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है, यद्यपि यह अपने आप में एक बड़ी बुराई है, जितनी कि यह कि वह दूसरों को भी भ्रष्ट करता है और जैसे कि उसके अपने जीवन में परिवर्तन आता है वैसे ही लोगों का नैतिक आचरण भी बदलता है।"[2] भ्रष्टाचार के अन्तर्गत कई तरह की कार्रवाइयां शामिल हो सकती हैं, जिनमें रिश्वत या अनुचित उपहार देना या स्वीकार करना, दोहरा व्यवहार करना और निवेशकों को धोखा देना इत्यादि शामिल है। किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतन्त्र का लक्षण भी है परन्तु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह भ्रष्टाचार कहलाता है। आचार्य कौटिल्य ने राजनीति के सुप्रसिद्ध ग्रंथ "अर्थशास्त्र" में भ्रष्टाचार को लेकर यह बताया है कि-

यथा ह्य स्वादयितुं न शक्यं
जिह्वातलस्थां मधु वा विषं वा
अर्थस्तथाह् यर्थरण राज्ञः
स्वल्यो स्म्रास्वादपितुं न शक्यः

अर्थात् जिस प्रकार जीभ पर रखे हुए शहद या विष के संबंध में कोई चाहे कि मैं इसका स्वाद न लूँ, यह हो नहीं सकता, जीभ पर रखी हुई चीज की इच्छा न होते हुए भी स्वाद आ ही जाता है ठीक इसी प्रकार राजा के अर्थ संबंधी कार्यों पर नियुक्त कार्मिक, उस अर्थ का थोड़ा भी स्वाद न लें, यह कदापि नहीं हो सकता, वे थोड़ा-बहुत धन आदि का अपहरण अवश्य करते हैं।[3]

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र में भ्रष्टाचार भारतीय शासन-प्रशासन की ज्वलंत समस्या के बारे विस्तार से वर्णन किया गया हैं। आंकड़ों के संकलन हेतु द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण किया गया हैं। द्वितीयक आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए पूर्व में प्रकाशित पुस्तकों को आधार बनाया गया हैं।

शोध पत्र का उद्देश्य

भारतीय शासन-प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले भ्रष्टाचारों का अध्ययन करना इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य रहा है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

साहित्य की समीक्षा

प्राचीन काल में राजाओं द्वारा भारतीय समाज को ऊंची और नीची जातियों में विभाजित कर दिया गया था। यहीं से संभवतः भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई जिस कारण सामाजिक ढांचा कमजोर होता गया, फलस्वरूप विभिन्न आक्रमणकारी भारत पर शासन करने में सफल हुए। राजा-महाराजाओं के इसी भ्रष्ट आचरण के कारण अंग्रेजों ने भी भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाये रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् मुख्यतः जीप घोटाला)1948(, मुद्गल मामला (1951), नागरवाला घोटाला (1971), बोफोर्स घोटाला (1986), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा घूस काण्ड (1993), चारा घोटाला (1996), आगस्तावेस्टलैण्ड हेलिकॉप्टर घोटाला (2013) हुआ है। भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। 1962 में भ्रष्टाचार निवारण के लिए विद्यमान रोधकों की जांच करने और भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक उपाय सुझाने हेतु संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, 1964 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।[4]

भारतीय न्यायपालिका के क्षेत्र में भ्रष्टाचार

भारतीय समाज के भ्रष्टाचार के सबसे व्यस्त और अपराधी अड्डे अदालतों के परिसर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा है कि "राज्य कर्मचारियों से न केवल उनके सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के समय ही बल्कि उनके निजी जीवन में भी आचरण के एक विशेष मानक की मांग करता है।"[5] न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, यह एक आम मान्यता है। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालती निर्णय आता है तो उसे लगता है कि जरूर न्यायाधीश ने विपक्षी लोगों से पैसे लिए होंगे या किसी और वजह से उसने अदालत का निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया होगा। कहते सब हैं, पर डरते भी हैं कि ऐसा कहने पर वे अदालत की अवमानना के मामले में फंस न जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायधीशों पर महाभियोग की कार्यवाही भी हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में- घूसखोरी, भाई भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लंबी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा मंहगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि कारकों की प्रमुख भूमिका है। आमतौर पर कहा जाता है कि फलां वकील के पास जाइए, वह निश्चित रूप से आपकी जमानत करवा देगा, उस "निश्चित रूप से" का एक अर्थ होता है, यही भ्रष्टाचार है परन्तु अदालतों ने अपने आप को पूरी तरह से ऐसे आवरण में ढांप रखा है कि कभी इस पर न कोई खबर छपती है, न कोई कार्रवाई होती है। कानून ऐसा है कि आज न्यायाधीश

को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति रखने का मुकदमा नहीं बना सकते। कानून ऐसा है कि अगर कोई न्यायाधीश इस प्रकार की स्थितियों में पाया जाए तो उस पर होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वैसे विगत कुछ दशकों में राज्य के तीन अंगों के प्रदर्शन पर नजर डाली जाए तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जा सकता है, अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में विचाराधीन मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगाना तो सामान्य-सी बात है, लेकिन बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धांत है कि विलंब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ना जैसा होगा। अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की चेन में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। उच्चस्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर निस्तवन साफ-सुथरी मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। उच्चत्तम न्यायालय और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल है कि कार्रवाई किया जाना बहुत कठिन होता है। उच्चत्तम न्यायालय द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के अपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुप-से गए हैं। यह भारत की गर्वोन्नत न्यायपालिका की ही चमचमाती मिसाल है, जहां सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना का अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट ही है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हों, देश के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है।

सैन्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार

विश्व की कुछ चुनिंदा सबसे तेज़, सबसे चुस्त, बहादुर और देश के प्रति विश्वसनीय सेनाओं में अग्रणी स्थान पाने वालों में से एक है। देश का सामरिक इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय सेना ने युद्धों में वो वो लडाई सिर्फ़ अपने जज़्बे और वीरता के कारण जीत ली जो दुश्मन बड़े आधुनिक अस्त शस्त्र से भी नहीं जीत पाए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से, बड़े शस्त्र आयात निर्यात में, पुराने यानों के

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

चालन से उठे सवाल और जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं, दुर्घटनाएं और अपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं न कहीं ये सिलसिला ज़ारी है वो इस बात का ईशारा कर रहा है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। सबसे दुखद और अफ़सोसजनक बात ये है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्चाधिकारियों के नाम ही रहा है। आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी, सेना में भरती, आयुध, वर्दी एवं राशन की सप्लाई तक में घोटालेबाजी के सबूत, पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए फ़र्जी मुठभेडों की सामने आई घटनाएं आदि यही बता और दर्शा रही हैं कि भारतीय सेना में भी अब वो लोग घुस चुके हैं जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है। आज सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री आपूर्ति, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और ईंधन आपूर्ति आदि सब में बहुत सारे घोटाले किए जा रहे हैं और इसमें उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सैन्य एवं रक्षा विभागों से जुडे हुए सारे भ्रष्ट लोग। इन सबके छुपे ढ़के रहने का एक बड़ा कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा से जुडा होने के कारण इन सूचनाओं का अति संवेदनशील होना और इसलिए ये सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि की नहीं जा सकतीं। यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलों को जनसाधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंजाईश खत्म हो जाएगी। बोफोर्स घोटाले ने हमारे रक्षा सौदों में ही व्याप्त रिश्वत और भ्रष्टाचार की पोल ही खोल दी थी। स्वीडिश रेडियो ने आरोप लगाया कि बोफोर्स कंपनी और भारत के बीच तोपों की खरीद के अरबों डॉलर के समझौतों में भारतीय अधिकारियों को रिश्वत दिलायी गयी।[6] सेना से जुड़े कुछ प्रमुख भ्रष्टाचार के मामले; सुकना जमीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला, टैट्रा ट्रक घोटाला, आदर्श सोसायटी घोटाला, कारगिल ताबूत घोटाला और जीप घोटाला इत्यादि।

संचार क्षेत्र में भ्रष्टाचार

यदि संचार माध्यम स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो तो इससे सुशासन को बढ़ावा मिलता है जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। आज मिडिया में भ्रष्टाचार इस सीमा तक बढ़ गया है कि मीडिया के मालिक काफी तादाद में संसद में बैठते दिखाई देते अर्थात् भ्रष्ट मिडिया और भ्रष्ट राजनेता मिलकर काम कर रहे हैं। भ्रष्ट घोटालों में मीडिया घरानों के नाम आते हैं, उनमें काम करने वाले पत्रकारों के नाम भी आते हैं, कई पत्रकार भी करोड़पति और अरबपति हो गए हैं। आजादी के बाद लगभग सभी बड़े समाचार पत्र पूंजीपतियों के हाथों में आ गये है, उनके अपने हित निश्चित हो सकते हैं इसलिए आवाज उठती है कि मीडिया बाजार के चंगुल में है। बाजार का उद्देश्य ही है अधिक से अधिक लाभ कमाना। पत्रकार शब्द नाकाफी है अब तो न्यूज बिजनेस शब्द का प्रयोग है। अनेक नेता और कारापोरेट कम्पनियां अखबार का स्पेस (स्थान) तथा टीवी का समय खरीद लेते हैं, वहां पर न्यूज, फीचर, फोटो, लेख जो चाहे लगवा दें। भारत की प्रेस कौंसिल और न्यूज ब्राडकास्टिंग एजेन्सी बौनी है। अच्छे लेखकों की सत्य आधारित लेखनी का सम्मान नहीं होता

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

उनके लेख कूड़ेदान में जाते हैं। अर्थहीन, दिशाहीन, अनर्गल लेख उस स्थान को भर देते हैं। अखबारों से सम्पादक के नाम पत्र गायब हैं। लोग विश्वास पूर्वक लिखते नहीं, लिख भी दिया तो अनुकूल पत्र ही छपते हैं बाकी कूड़ेदान में ही जाते हैं। कुछ सम्पादकों की कलम सत्ता के स्तंभों और मालिकों की ओर निहारती है। टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबादत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखा। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाय। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया में घुसते भ्रष्टचार पर सवाल उठा हो! मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुबां से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है और मीडिया की पोल खोल दी है। हालांकि, अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर। छोटे-बड़े शहरों, जिलों एवं कस्बों में मीडिया की चाकरी बिना किसी अच्छे मासिक तनख्वाह पर करने वाले पत्रकारों पर हमेशा से पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। खुले आम कहा जाता है कि पत्रकरों को खिलाओ-पिलाओ-कुछ थमाओं और खबर छपवाओ। मीडिया की गोष्ठियों में, मीडिया के दिग्गज गला फाड़ कर, मीडिया में दलाली करने वाले या खबर के नाम पर पैसा उगाही करने वाले पत्रकारों पर हल्ला बोलते रहते लोकतंत्र पर नजर रखने वाला मीडिया भ्रष्टाचार के जबड़े में है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर भले ही आज हो हल्ला हो जाये, यह कोई नयी बात नहीं है। पहले निचले स्तर पर नजर डालना होगा। कस्बों में दिन-रात कार्य करने वाले पत्रकार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन सभी नहीं। छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में पन्द्रह सौ रूपये के मासिक पर पत्रकारों से दस से बारह घंटे काम लिया जाता है। ऊपर से प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे, भुगतान दिहाड़ी मजदूरों की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल, सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक जिले, कस्बा या ब्लॉक का पत्रकार, अपनी जिंदगी पानी और हवा पी कर तो नहीं गुजारेगा। छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे, पत्रकारों का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजबूरी का नाम दिया जा सकता है। मिडिया का स्वामित्व, जाली समाचार, असत्य समाचार, पेड न्यूज, दत्त-शुल्क समाचार, राजनैतिक भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, सहचर पूँजीवाद, वंशवाद।

चुनावी क्षेत्र में भ्रष्टाचार

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

चुनाव सम्बन्धी आदर्श आचार संहिता का बार-बार उल्लंघन करना, बूथ लूटना, लोगों को मतदान करने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रोकना, चुनाव से ठीक पहले पैसे, शराब एवं अन्य सामान बांटना, चुनाव में अंधाधुंध पैसा खर्च करना, प्रतिद्वन्दियों के बैनर-झण्डे फाड़ना एवं कार्यकर्ताओं को डराना-धमकाना, मतगणना में धांधली करा देना, लोकलुभावन योजनाएँ शुरू करना, जाति के आधार पर वोट माँगना, पक्षपातपूर्ण चुनाव सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और लोगों को लुभाने के लिए ऐसे वादे करना जिनको पूरा करना सम्भव ही नहीं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने एक साक्षात्कार में कहा कि यदि वे राष्ट्रपति पद के चुनाव में दुबारा उम्मीदवार बन जाते तो कतिपय राजनीतिक दल उनके चुनाव हेतु तीस से चालीस करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार थे।[7]

नौकरशाही के क्षेत्र में भ्रष्टाचार

यह सर्वविदित है कि भारत में नौकरशाही का मौजूदा स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की देन है इसके कारण यह वर्ग आज भी अपने को आम भारतीयों से अलग, उनके ऊपर, उनका शासक और स्वामी समझता है। अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए यह वर्ग जितना सचेष्ट रहता है, आम जनता के हितों, जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उतना ही उदासीन रहता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि "मंत्रीगण और ऊंचे अवसर अपने निजी लाभ के लिए इस तरह घुस वसूल करते हैं मानो वह उनका प्राइवेट टैक्स हो।"[8] भारत जब गुलाम था, तब महात्मा गांधी ने विश्वास जताया था कि आजादी के बाद अपना स्वराज्य होगा, लेकिन आज जो हालत है, उसे देख कर कहना पड़ता है कि अपना स्वराज्य है कहां? उस लोक का तंत्र कहां नजर आता है, जिस लोक ने अपने ही तंत्र की स्थापना की? आज चतुर्दिक अफसरशाही का जाल है। लोकतंत्र की छाती पर सवार यह अफसरशाही हमारे सपनों को चूर-चूर कर रही है। देश की पराधीनता के दौरान इस नौकरशाही का मुख्य मकसद भारत में ब्रिटिश हुकूमत को अक्षुण्ण रखना और उसे मजबूत करना था, जनता के हित, उसकी जरूरतें और उसकी अपेक्षाएं दूर-दूर तक उसके सरोकारों में नहीं थे। नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर इंडियन सिविल सर्विस के अधिकारी थे, जो अधिकांशत: अंग्रेज अफसर होते थे। भारतीय लोग मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों के रूप में सरकारी सेवा में भर्ती किए जाते थे, जिन्हें हर हाल में अपने वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों के आदेशों का पालन करना होता था। लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किए गए शिक्षा के मॉडल का उद्देश्य ही अंग्रेजों की हुकूमत को भारत में मजबूत करने और उसे चलाने के लिए ऐसे भारतीय बाबू तैयार करना था, जो खुद अपने देशवासियों का ही शोषण करके ब्रिटेन के हितों का पोषण कर सकें। स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत तमाम महत्वपूर्ण बदलाव हुए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली, वह थी नौकरशाही की विरासत और उसका चरित्र। कड़े आंतरिक अनुशासन और असंदिग्ध स्वामीभक्ति से युक्त सर्वाधिक प्रतिभाशाली व्यक्तियों का संगठित तंत्र होने के कारण भारत के शीर्ष राजनेताओं ने

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

औपनिवेशिक प्रशासनिक मॉडल को आजादी के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया। इस बार अनुशासन के मानदंड को नौकरशाही का मूल आधार बनाया गया। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में भले ही भारतीय सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारियों को लोक सेवक कहा जाने लगा, लेकिन अपने चाल, चरित्र और स्वभाव में वह सेवा पहले की भांति ही बनी हुई है। प्रशासनिक अधिकारियों के इस तंत्र को आज भी 'स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया' कहा जाता है। नौकरशाह मतलब तना हुआ एक पुतला, इसमें अधिकारों की अंतहीन हवा जो भरी है, हमारे लोगों ने ही इस पुतले को ताकतवर बना दिया है। वे इतने गुरूर में होते हैं कि मत पूछिए, वे ऐसा करने का साहस केवल इसलिए कर पाते हैं कि उनके पास अधिकार हैं, जिन्हें हमारे ही विकलांग-से लोकतंत्र ने दिया है। भारत में अब तक हुए प्रशासनिक सुधार के प्रयासों का कोई कारगर नतीजा नहीं निकल पाया है। वास्तव में नौकरशाहों की मानसिकता में बदलाव लाए जाने की जरूरत है।

कारपोरेट के क्षेत्र में भ्रष्टाचार

पिछले कुछ वर्षों से भारत एक नए तरह के भ्रष्टाचार का सामना कर रहा है। बड़े घपले-घोटालों के रूप में सामने आया यह भ्रष्टाचार कारपोरेट जगत से जुड़ा हुआ है। यह विडंबना है कि कारपोरेट जगत का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे से बाहर है। देश ने यह अच्छी तरह देखा कि टू जी स्पेक्ट्रम तथा कोयला खदानों के आवंटन में निजी क्षेत्र किस तरह शासन में बैठे कुछ लोगों के साथ मिलकर करोड़ों-अरबों रुपये के वारे-न्यारे करने में सफल रहा। भारत में नेताओं, कारपोरेट जगत के बडे-बड़े उद्योगपति तथा बिल्डरों ने देश की सारी सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए आपस में गठजोड़ कर रखा है। इस गठजोड़ में नौकरशाही के शामिल होने, न्यायपालिका की लचर व्यवस्था तथा भ्रष्ट होने के कारण देश की सारी सम्पदा यह गठजोड़ सुनियोजित रूप से लूटकर अरबपति-खरबपति बन गया है। यह सच है कि आज भी ऐसे बड़े घराने हैं जो जब चाहें किसी भी सीएम और पीएम के यहां जब चाहें दस्तक दें तो दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। देश में आदर्श सोसायटी घोटाला, टू जी स्पैक्ट्रम, कामनवैल्थ घोटाला और कोयला आवंटन को लेकर हुआ घोटाला आदि कारपोरेट घोटाले के उदाहरण हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार

शिक्षा विकास की जननी है इसके बिना सर्वांगीण विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती लेकिन भ्रष्टाचार ने शिक्षा क्षेत्र में भी जड़ जमा ली है। रुपये (कैपिटेशन फीस) लेकर स्कूलों व कॉलेजों में प्रवेश देना, विद्यालयों द्वारा सामूहिक नकल कराना, प्रश्नपत्र आउट करना, पैसे लेकर पास कराना और बहुत अधिक अंक दिलाना, जाली प्रमाणपत्र और मार्कशीट बनाना आदि शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कुछ उदाहरण हैं। स्कूल व कालेजों को मान्यता देने में अरबों रुपए का लेनदेन होता है; इंस्पैक्शन रिपोर्टें सही नहीं होतीं। प्राइवेट कोचिंग का बोलबाला है। स्कूलों में शिक्षक स्वयं नहीं पढ़ाने आते, बहुतों ने पाँच सौ-

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हजार रुपए मासिक पर किसी ऐरे-गैरे को अपने जगह पर पढ़ाने के लिए रख छोड़ा है। नेताओं और अधिकरियों की मिलीभगत से हजारों करोड़ के नकल उद्योग, नियुक्ति उद्योग एवं स्थानान्तरण उद्योग स्थापित हो गये हैं। उत्तर प्रदेश में नकल पर नकेल कसने के लिए कल्याण सिंह ने 'नकल अध्यादेश' लागू किया था जिसे मुलायम सिंह यादव ने चुनावी मुद्दा बनाया और सार्वजनिक घोषणा की कि 'चुनाव जीतने पर मुख्यमन्त्री बनते ही नकल अध्यादेश वापस ले लूंगा।' ऐसे हजारों विश्वविद्यालय हैं, जहाँ प्रमाणपत्रों की बिक्री हो रही है। इनमे से जाधिकांश निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनकी बागडोर बड़े व्यवसायियों, उद्योगपतियों, और शिक्षा माफिआओं के हाथ में हैं। ऐसे संस्थानों में ऊपरी चमक-दमक काफी होती है; अच्छी बिल्डिंग, अच्छे और आधुनिक व्यवस्था से पूर्ण कक्षाएं, लैब इत्यादि हैं किन्तु ऐसे संस्थानों में शिक्षा नहीं, शिक्षा का व्यवसाय होता है। बात यही समाप्त नहीं होती, देश में उच्च शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं नियंत्रण के लिए बने कई समितियां स्वयं गले तक भ्रष्टाचार की दल-दल में फंसी हुई हैं। आज देश में भर में ऐसे सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान है, जो विश्वविद्यालय के लिए तय मानकों और मापदंडों के अनुरूप नहीं है, फिर भी उनका संचालित होना तथा शिक्षा के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर सवाल खड़ा करता है। आज धड़ल्ले से देश भर में तकनिकी संस्थान खुल रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा माफिआओं के लिए धन-उगाही केंद्र बने हुए हैं। ऐसे हजारों तकनीकि संस्थान संचालित हैं जो तकनीकि पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, परदे के पीछे लाखों के खेल से इन संस्थानों को ‘अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद’ द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के लिए जाँच प्रक्रिया तो सिर्फ एक कागजी खानापूर्ति भर होती है। बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने शोधार्थी से पैसे ले कर स्वयं उनका शोध पत्र लिख डालते हैं या फिर अन्य विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाती हैं जो एक निश्चित राशि के बदले उनका शोध पत्र न केवल तय समय सीमा में लिख कर दे देते हैं बल्कि उनके मौखिक परीक्षा तक सहयोग करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके जितना 'शुल्क' लिया गया है उसके अनुरूप 'सेवा' भी हो जाय। कुछ विश्वविद्यालय ऐसे भी हैं जहां कई प्रोफेसर अपने शोधार्थियों से यूजीसी से मिलने वाले स्कालरशिप में भी कमीशन लेते हैं। वह छात्रों पर दबाव डालते हैं कि या तो वह उन्हें प्रति माह एक तयशुदा राशि दें अन्यथा मिलने वाली छात्रवृत्ति पर यह कह कर रोक लगा दी जाएगी कि 'इनका काम स्तर का नहीं है'। हार मान कर छात्रों को उनकी अनैतिक मांगों के आगे न केवल झुकना पड़ता है बल्कि अपने सम्मान की बलि भी देनी पड़ती है।

विविध भ्रष्टाचार

समय-समय पर समाचार आते हैं कि राज्य सभा की सदस्यता करोड़ में खरीदी जा सकती है। मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की सम्पत्ति एक-दो वर्ष में ही दीन-चार गुनी हो जा रही है। समय-समय पर विभिन्न

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाखों रूपए लेकर परीक्षा में नकल कराकर मेरिट सूची में लाने के समाचार आ रहे हैं। संसद में प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेना पैसे लेकर विश्वास-मत का समर्थन करना। राज्यपालों, मंत्रियों आदि द्वारा विवेकाधिकार का दुरुपयोग।

जांच परिणाम

भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। स्वामी रामदेव द्वारा विदेशों में जमा काला धन वापस लाने हेतु आन्दोलन (जून 2011(, अन्ना हजारे द्वारा जनलोकपाल विधेयक पारित कराये जाने हेतु आन्दोलन (अगस्त 2011(, मोदी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध उठाए गए कदम- हजारों एनजीओ संस्थाओं एवं शेल-कम्पनियों को बन्द करना, नोटबंदी, सैकड़ों बड़े भ्रष्ट अधिकारियों को नौकरी से निकालना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा तथा अनेक सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे सब्सिडी को सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जा रहा है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक एक सूचकांक है जो देशों को लोक क्षेत्रों के भ्रष्टाचार के अनुमानित स्तरों के आधार पर विशेषज्ञ आकलन एवं राय सर्वेक्षणों के द्वारा रैंक निर्धारित करने का कार्य करता है। सीपीआई आम तौर पर भ्रष्टाचार को "निजी लाभ के लिए सौंपी गई शक्ति का दुरुपयोग" के रूप में परिभाषित करती है।[9] 1 मई, 2021 और 30 अप्रैल 2022 के बीच की स्थिति के आधार पर 180 देशों को "100 (बहुत साफ) से 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) के पैमाने पर" रैंक करता है। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर और स्वीडन को दुनिया में सबसे कम भ्रष्ट देशों के रूप में माना जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पारदर्शिता के बीच लगातार उच्च रैंकिंग पर हैं, जबकि सबसे स्पष्ट रूप से भ्रष्ट सोमालिया (12 अंक), सीरिया और दक्षिण सूडान (दोनों 13 अंक) हैं।[10] अभी हाल ही में वर्ष 2022 के भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने भारत को 180 देशों में से 85वें स्थान पर रखा है।[11]

सुझाव

- कर्मचारियों को वेतन आदि नकद न देकर यह पैसा उनके बैंक खाते में भेजें जाए।
- सरकारी नियम एवं प्रशासकीय कार्य प्रणालियों की निरंतर समीक्षा करते हुए उन्हें सरल व स्पष्ट बनाया जाए ताकि इनकी और अस्पष्टता एवं जटिलता के कारण लोक सेवकों को अनैतिक कार्य करने के लिए अवसर प्राप्त ना हो सके।
- सरकारी अधिकारियों के लिए समुचित निवास व वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे इन मामलों में रिश्वत के लोभ से बच सके।
- नियुक्ति व पदोन्नति में सावधानी बरती जाए ताकि योग्यता के आधार पर उत्तम चरित्र वाले व्यक्तियों को ही महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जा सके।
- फाइलों का निपटारा एक निश्चित अवधि के भीतर शीघ्रता से किया जाए।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- समाज में एक ऐसे परिवेश का निर्माण किया जाए जिससे भ्रष्ट अधिकारी और कर्माचारियों को ना केवल नौकरी चले जाने का डर रहे बल्कि उन्हें सामाजिक बहिष्कार होने का भी भय रहे।
- जनता के प्रमुख कार्यों को पूरा करने एवं शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित हो। लोकसेवकों द्वारा इसे पूरा न करने पर वे दंड के भागी बने।
- विशेषाधिकार और विवेकाधिकार कम किये जाएं।
- सभी 'लोकसेवक' (मंत्री, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, कर्मचारी) अपनी संपत्ति की हर वर्ष घोषणा करें।
- भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया जाए।
- भ्रष्टाचार की कमाई को सरकार द्वारा जब्त करने का प्रावधान हो।
- चुनावी सुधार किये जाए और भ्रष्ट तथा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी हो।
- विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन भारत में लाया जाए और उससे लोक हित के कार्य किये जाएँ ।
- कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया जाय।
- डिजिटल लेन-देन की जाएं जिससे शासन में पारदर्शिता आएंगी और भ्रष्टाचार कम होगा।
- कानून की गंभीरता और उसका अनुप्रयोग जनमत की ताकत जो स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के अभियान को आगे बढ़ाने में मदद करेगी।
- विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए मृत्युदंड की मांग सही नही है, आपराधिक व्यवहार के लिए दंड बढ़ने से, अदालतों को उनके सामने दोषी ठहराए गए लोगों के अपराध के बारे में आश्वस्त होने के लिए सबूत की मात्रा जितनी अधिक होगी यह फैसला लोगों को भ्रष्टाचार से नहीं रोक सकता; हमें ऐसे प्रबुद्ध जनमत वाले नेताओं की जरूरत है जो शासन या प्रशासन में शक्तिशाली तत्वों से मुकाबला करने से न डरें।

निष्कर्ष

भारत की अर्थव्यवस्था का कमज़ोर होने का प्रमुख कारण भ्रष्टाचार ही है। भारत से अनुसंधान का काम भारी मात्रा में 'आउटसोर्स' हो रहा है जिसके कारण तकनीकी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। वही राष्ट्र आगे बढ़ सकता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े होते हैं, नये उपाय क्रियान्वित करने के लिए आजाद होते है। बेड़ियों में जकड़े हुये या पुलिस की तीखी नजर के साये में शोध, व्यापार व अध्ययन कम ही पनपते हैं। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव होने लगता है। गरीब और अमीर के बीच दूरी बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लग जाती है। भारत तकनीकी क्षेत्र

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

में तो आगे बढ़ रहा है लेकिन श्रम का मूल्य न्यून है, समाज मे खुलापन भी है पर हमारी समस्या भ्रष्टाचार की है। सरकारी समाज कल्याणकारी योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान होता है। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सबको पता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चालीस प्रतिशत माल का ही रिसाव हो रहा है। मनरेगा के मार्फत् निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है, सौ रुपये पाने के लिये उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अत: भ्रटाचार की समस्याओं को रोकने में हम असफल हैं। प्रत्येक परिवार को कोई दो हजार रुपये प्रति माह मिल जाए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, उन्हें मनरेगा में बैठकर फर्जी कार्य का ढोंग नहीं रचना पड़ेगा, वे रोजगार करने एवं धन कमाने को निकलेंगे जिससे कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रटाचार स्वत: ही समाप्त हो जायेगा। इस बात को अमल में लाने की प्रमुख समस्या राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्रेम है। यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज को खत्म कर दिया जाये, इन पर खर्च की जा रही रकम को सीधे मतदाताओं को वितरित कर दिया जाए। भारत के नेताओ को जब अपने फालतू के कामो से फुरसत मिले तब ही वो इस सम्बन्ध में सोच पायेंगे, उन लोगो को तो फ्री का पैसा मिलता रहे, देश की दुर्दशा किसको दिखती है। युवाओ को इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योकि बदलाव के लिये क्रान्ति की ही आवश्यकता होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा की कहीं भ्रष्टाचार को खत्म करने में भारत के टुकडे न हो जाये, अपने को बचाने के लिये ये नेता कभी भी अपना रूप बदल सकते है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने कुछ प्रयास अवश्य किए जैसे- भारतीय दण्ड संहिता (1860), केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस एवं न्यायालय, भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक संगठन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोकसत्ता आन्दोलन, चुनाव सुधार, सिटीजन चार्टर, लोकसेवा अधिकार कानून, भ्रष्टाचार-निरोधक कानून, बेनामी लेनदेन अधिनियम, अर्थशोधन निवारण अधिनियम (2002), सूचना का अधिकार अधिनियम (2005(, विदेशी अंशदान अधिनियम (2010), लोकपाल अधिनियम (2013), कंपनी अधिनियम (2013) इत्यादि बनाने के लिये भारत सरकार बाध्य हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

गोइल, एस. एल. गोइल, पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड मैनेजमेंट, स्टर्लिंग पब्लिकेशन्स प्रा. लि., न्यू दिल्ली, 1993, पृ. सं. 278

गोपीनाथ, पी. कृष्णा गोपीनाथ, करप्शन इन पोलिटिकल एण्ड पब्लिक ऑफिस : कॉसेस् एण्ड क्योर (कोटेड इन) इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ; वोल्यूम *XXVIII;* नम्बर 4; अक्टूबर – दिसंबर, 1992, पृ. सं. 897

कटारिया, डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, 2007, प्रशासनिक चिंतक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस चौड़ा रास्ता, जयपुर-302003.

त्रिपाठी, प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी, प्रथम संस्करण, 2008, भारतीय प्रशासन, 4398*/5,* अंसारी रोड*,* दरियागंज नई दिल्ली-110002, ओमेगा पब्लिकेशंस।

फड़िया, डॉ. बी. एल. फड़िया, लोक प्रशासन एवं शोध प्रविधि, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, पृ. सं. 470

इण्डिया टुडे, 15 मई, 1987

इण्डियन एक्सप्रेस, 3 मार्च, 1988, पृ. सं. 1

ढड्ढा*,* सिद्धराज ढड्ढा, भ्रष्टाचार के स्रोत, इतवार पत्रिका, 4 अगस्त, 1985, पृ. सं. 3

सीपीआई *2010:* लंबी पद्धति संबंधी संक्षिप्त जानकारी*,* पृ. *2*

*"*सीपीआई *2022",* ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल*, 31* जनवरी*, 2023*

https://www.transparency.org

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies